

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

आदेश

जिला एवं अनुमंडल कार्यालयो मे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अन्तर्गत सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5354 दिनांक 12.04.16 द्वारा निम्नांकित कार्यपालक सहायकों को सृजित पदो के विरुद्ध उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय मे अगले आदेश तक नियोजित किया जाता है।

क्र0	ID No.	नाम	पिता	कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	VAI002525	HAFIJUL RAHMAN	HABIBUR RAHMAN	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
2	VAI000989	MUKESH KUMAR	RAMESHWAR SAH	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
3	VAI000679	SARITA	YOGENDRA PRASAD SINGH	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
4	VAI001407	ANAND KUMAR	NILMANI CHOUDHARY	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
5	VAI001007	ADIL IMRAN	AGA IRFAN	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
6	VAI001619	DABLU KUMAR	SURESH SHARMA	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
7	VAI002403	ABHISHEK KUMAR	ARVIND KUMAR JAISWAL	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महुआ	
8	VAI001100	SHALINI SHARMA	UMESH SHARMA	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
9	VAI001991	ANJU KUMARI	SHRI NAWAL KISHORE SHARMA	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, हाजीपुर	
10	VAI001152	KIRAN KUMARI	JALESHWAR PASWAN	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महुआ	
11	VAI000320	ABHISHEK KUMAR	RAM PRASAD RAY	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महुआ	
12	VAI000878	SUDHA KUMARI	BABU LAL SINGH	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महुआ	

13	VAI000990	ABHISHEK KUMAR SINGH	DINESH KUMAR SINGH	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महनार	
14	VAI000354	KUNDAN KUMAR	SHIVCHANDRA MAHTO	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महनार	
15	VAI002714	SUDHA KUMARI	NAVIN KUMAR	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महनार	
16	VAI000242	SANJAY RAM	KAMAL RAM	अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय, महनार	

शर्त :-

1. नियोजन योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए की जाती है, जिसका समीक्षोपरान्त आवश्यकता पडने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. इन्हें दिनांक17.5.16.....तक निश्चित रूप से में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
4. प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 359 दिनांक 18.04.16 के आलोक में कार्यपालक सहायको को कुल 11345 रुपया संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. इन्हें कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में नियोजित कर्मियों को अनुमान्य अवकाश देय होगा।
6. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
7. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भता देय नहीं होगा।
8. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक- 534

दिनांक- 14/5/16

- प्रतिलिपि- मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि- सभी संबंधित कार्यपालक सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्कारों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाइट) (ग) एक यू0पी0एस0 (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीनों दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।
- प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी(RTPS), वैशाली हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।